



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
 भाग-4, खण्ड (ख)  
 (परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 15 जनवरी, 2018

पौष 25, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
 औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या 02/2018/235/77-3-2018-37एम-12

लखनऊ, 15 जनवरी, 2018

### अधिसूचना

प0आ0-7

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-3 के उपनियम (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल वर्ष 2017-18 के लिए नीचे अनुसूची में यथा उल्लिखित फीस की आधार दर नियत करते हैं:-

क्रम सं०	वाहन का प्रकार	वर्ष 2017-18 के लिए दिसम्बर, 2016 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 343.32) पर आधारित फीस की प्रति किलोमीटर आधार दर (रुपये में)
1	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	2.20
2	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	3.50
3	बस या ट्रक	7.05
4	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम) भू-गतिमान उपस्कर (ई0एम0ई0) या बहुधुरीय यान (एग0ए0वी) (3 से 6 धुरीय)	10.85
5	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकिल) (7 या अधिक धुरीय)	13.85

2-निर्मित स्थाई, सेतु, इण्टरचेंज फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का प्रयोग करने पर यदि उक्त निर्मित ढाँचों की पूर्ण लागत दस करोड़ से अधिक है, तो आधार वर्ष 2017-18 के लिए दिसम्बर, 2016 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 343.32) के आधार पर फीस की दर निम्नवत् होगी:-

फीस का आधार दर (प्रति वाहन प्रति फेरा रुपये में)					
स्थाई सेतु या सुरंग की लागत (करोड़ रुपये में)	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहक यान या मिनी बस	ट्रक या बस	एच0सी0एम0, ई0एम0ई0 या एम0ए0वी0	विशाल आकार यान
10-15	6.00	9.00	18.00	26.40	35.95
रु0 पन्द्रह करोड़ के बाद प्रत्येक पांच करोड़ या उसके भाग पर रु0 सौ करोड़ तक	1.20	1.80	3.60	5.40	7.20
रु0 सौ करोड़ के बाद प्रत्येक पांच करोड़ या उसके भाग पर रु0 दो सौ करोड़ तक	0.90	1.40	2.70	4.10	5.40
रु0 दो सौ करोड़ से ऊपर प्रत्येक पांच करोड़ या उसके भाग पर	0.60	0.90	1.80	2.70	3.60

3-श्री राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उपरोक्त निर्धारित टोल की आधार दरों के अनुसार, 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' हेतु विभिन्न वाहनों के लिए आगणित टोल दरों पर, टोलिंग प्रारम्भ करने के दिनांक से छः माह की अवधि के लिए, 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाय।

4-उक्त के अतिरिक्त टोल दरों में उपरोक्त 2017-18 आधार दरों (दिसम्बर 2016 की डब्ल्यू0पी0आई 343.32 पर आधारित) पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से वार्षिक वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के बोर्ड को अधिकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,  
आलोक सिन्हा,  
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 02/2018/235/LXXVII-3-18-37(M)-2012 dated January 15<sup>th</sup>, 2018.

No. 02/2018/235/LXXVII-3-18-37(M)-2012

Dated Lucknow, January, 15<sup>th</sup> 2018

In exercise of the powers under sub-rule (i) of rule 3 of the Uttar Pradesh Expressway (Levy of Tolls and Fixing of Fees and Realisation thereof) (Fourth Amendment) Rules, 2017, the Governor is pleased to fix the base rate of fees for the year 2017-18 as mentioned in the Schedule below:-

SCHEDULE

Sl. No.	Type of Vehicle	Base rate of fee per Km (In Rupees) based on the Wholesale Price Index (WPI) of December, 2016 (WPI 343.32) for the Year 2017-18
1	Car, Jeep, Van or Light, Motor Vehicle	2.20
2	Light Commercial vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	3.50

3	Bus or Truck	7-05
4	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) of Multi Axle Vehicle (MAV) (Three to Six Axles)	10.85
5	Oversized Vehicles (Seven or more Axles)	13.85

2. The rate of fee for the use of structures *interalia* including permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB bypass or tunnel constructed with the completed cost exceeding Rupees ten crores shall, based on the Wholesale Price Index (WPI) of December, 2016 (WPI 343.32) for the year 2017-2018, be as follows:

Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)					
Cost of permanent bridge or tunnel (Rupees in crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV	Oversized Vehicle
10 to 15	6.00	9.00	18.00	26.40	35.95
For every additional five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore	1.20	1.80	3.60	5.40	7.20
For Every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred crore and up to Rupees two hundred crore.	0.90	1.40	2.70	4.10	5.40
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees two hundred crore.	0.60	0.90	1.80	2.70	3.60

3. Governor is also pleased to direct that a discount of 25% shall be given on the Toll Rates to be calculated on the basis of above base rates of fee for various types of vehicles for a period of Six months from the date of start of Tolling on 'Agra-Lucknow Expressway'.

4. In addition to the above, the Governor is also pleased to authorize Board of Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority (UPEIDA) to sanction the annual increment in Toll rates from for the year 2017-18 (Based on WPI 343.32 as on December 2016) from 01 April every year on the basis of the provisions of Uttar Pradesh Expressway (Levy of Tolls and Fixing of Fees and Realisation thereof) (Fourth Amendment) Rules, 2017.

By order,  
ALOK SINHA,  
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 811 राजपत्र (हि०)-2018--(2538)-599 प्रतियां-(क०/टी०/अ०)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 10 सा० उद्योग-2018--(2539)-250 प्रतियां-(क०/टी०/अ०)।